



सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय कर के मुख्य आयुक्त का कार्यालय
Office of the Chief Commissioner, Customs & Central Tax,
विशाखापटनम क्षेत्र Visakhapatnam Zone



प्रथम तल, जीएसटी भवन, पत्तन क्षेत्र, विशाखापटनम – 530035
1st Floor, GST Bhavan, Port Area, Visakhapatnam – 530035
(P): 0891-2568837 (F) 0891-2561942 ccu-cexvzg@nic.in

फा.सं. VIII/48/47/2019-सीसी(वीजेड)

दिनांक: /08/2021

जन सूचना सं. 03/2021

विषय: ए ई ओ कार्यक्रम में संशोधन : निरंतर अनुपालन निगरानी के आधार पर निरंतर प्रमाणीकरण के लिए एईओ-टी I वैधता का स्वतः नवीनीकरण - के संबंध में।

आयातकों/निर्यातकों, सीमा शुल्क दलालों, शिपिंग लाइनों/एजेंटों, लाजिस्टक सेवा प्रदाताओं, सीएफएस/आईसीडी अभिरक्षकों, व्यापार वर्ग और अन्य हितधारकों का ध्यान एईओ कार्यक्रम पर बोर्ड के परिपत्र संख्या 18/2021-सीमा शुल्क दिनांक 31/07/2021 की ओर आकर्षित किया जाता है।

2. बोर्ड ने विशेष रूप से चल रही महामारी के दौरान अपने प्रमाणन के नवीनीकरण में एईओ-टी I संस्थाओं द्वारा सामना की जा रही कठिनाइयों की पृष्ठभूमि में एईओ-टी I कार्यक्रम की समीक्षा की है।

3. ए ई ओ प्रमाणीकरण का नवीनीकरण, परिपत्र संख्या 33/2016-सीमा शुल्क दिनांक 22/07/2016 के पैरा 5.1, जैसा कि परिपत्र संख्या 03/2018-सीमा शुल्क दिनांक 17/01/2018 के पैरा 3 (viii) में संशोधित किया गया है और परिपत्र संख्या 33/2016-सीमा शुल्क दिनांक 22/07/2016 के पैरा 5.1 और 5.2, यथा संशोधित, द्वारा शासित है। जब एक साथ पढ़ा जाता है, तो ये प्रावधान प्रदान करते हैं कि एईओ-टी I के लिए एईओ प्रमाणपत्र की वैधता तीन वर्ष होगी और एईओ-टी I इकाई जो अपनी एईओ प्रमाणीकरण स्थिति को जारी रखना चाहती है, को वैधता की समाप्ति से 30 दिन पहले नवीनीकरण के लिए एक आवेदन प्रस्तुत करना होगा। इसके अलावा, एईओ-टी I इकाईयों की स्थिति की हर तीन साल में समीक्षा की जाएगी।

4. एईओ-टी I द्वारा सामना की गई कठिनाइयों (जो जानकारी में आयी) को ध्यान में रखते हुए (एमएसएमई एईओ-टी I सहित) इकाईयां नवीकरण की मांग कर रही हैं और उनके अनुपालन के बोझ को कम करने की दृष्टि से, बोर्ड ने एईओ-टी I संस्थाओं के लिए निरंतर एईओ-टी I प्रमाणन/स्वतः नवीनीकरण की सुविधा की अनुमति देने का निर्णय लिया है। इस प्रकार, इन संस्थाओं को अब अपने एईओ-टी I प्रमाणन के आवधिक नवीनीकरण की आवश्यकता नहीं होगी। वार्षिक स्व-घोषणा (संलग्न) प्रस्तुत करने और उसकी समीक्षा के अधीन एईओ-टी I संस्थाओं के लिए निरंतर एईओ-टी I प्रमाणन / स्वतः नवीनीकरण की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। इस तरह की वार्षिक स्व-घोषणा प्रत्येक वर्ष 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर के बीच दाखिल की जानी है। 01/04/2019 को या उसके बाद प्रमाणित सभी एईओ-टी I संस्थाएं 01/08/2021 से स्वतः नवीनीकरण प्रक्रिया में प्रस्थापित (माइग्रेट) हो जाएंगी।

5. विशाखापत्तनम जोनल ए ई ओ द्वारा अनुमोदित सभी ए ई ओ-टी I इकाईयां कार्यक्रम प्रबंधक वार्षिक स्व-घोषणा, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, रिकॉर्ड पर प्रस्तुत करेगा। तथापि, ऐसे मामलों में जहां स्व-घोषणा के अनुसार एईओ-टी I अनुपालन में कोई परिवर्तन देखा जाता है या किसी क्षेत्र गठन/जांच एजेंसी से कोई प्रतिकूल इनपुट प्राप्त होता है, परिपत्र संख्या 33/2016-सीमा शुल्क दिनांक 22/07/2016, संशोधित के अनुसार, ऐसे एईओ-टी I इकाई के साथ-साथ राष्ट्रीय ए ई ओ कार्यक्रम प्रबंधक, अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क निदेशालय (इलेक्ट्रॉनिक रूप से) को सूचना के अनुसार उचित कार्रवाई की जाएगी।

6. वार्षिक स्व-घोषणा के आधार पर, विशाखापत्तनम जोन आईओ सेल परिपत्र संख्या 33/2016-सीमा शुल्क के पैरा 5.4 के अनुसार आईओ-टी I संस्थाओं (एमएसएमई आईओ-टी I सहित) के लिए एक व्यापक अनुपालन समीक्षा शुरू करेगा। दिनांक 22.07.2016, जैसा कि संशोधित किया गया है, जिसे निम्नानुसार रेखांकित किया गया है:

- (i) समीक्षा आईओ-टी I प्रमाणपत्र जारी करने के बाद दायर कम से कम दो वार्षिक स्वघोषणाओं के आधार पर या सफल समीक्षा के कारण प्रमाणीकरण के अंतिम स्वतः नवीनीकरण की तारीख से, जो भी बाद में हो, के आधार पर की जाएगी।
- (ii) प्रमाणन की तारीख से तीसरी वार्षिक स्व-घोषणा (यानी 31 अक्टूबर से पहले) जमा करने की नियत तारीख के शुरू होने से पहले या प्रमाणीकरण के अंतिम स्वतः नवीनीकरण की तारीख से समीक्षा प्रक्रिया पूरी की जानी चाहिए। सफल समीक्षा, जो भी बाद में हो।
- (iii) समीक्षा प्रक्रिया के दौरान, क्षेत्रीय आईओ कार्यक्रम प्रबंधक समीक्षा प्रक्रिया को पूरा करने के लिए आवश्यक होने पर अतिरिक्त दस्तावेज/सूचना मांग सकता है।

7. चूंकि समीक्षा प्रक्रिया पिछले दो वित्तीय वर्षों के विवरण को सामने लाने वाली दो वार्षिक घोषणाओं पर निर्भर करेगी, 01/04/2019 और 31/12/2019 के बीच प्रमाणित आईओ-टी I संस्थाओं के लिए, आईओ-टी I इकाई (MSME आईओ-टी I सहित) को अपने पहले वार्षिक स्वघोषणा के रूप में पिछले दो वित्तीय वर्षों का विवरण प्रस्तुत करना होगा -चालू वर्ष के लिए यानी 01/10/2021 और 31/12/2021 के बीच। इसी तरह, 01/01/2020 से 31/12/2020 के बीच प्रमाणित आईओ-टी I संस्थाओं (एमएसएमई आईओ-टी I सहित) को पिछले दो वित्तीय वर्षों का विवरण अगले वर्ष के लिए अपनी पहली वार्षिक स्वघोषणा के रूप में प्रस्तुत करना होगा यानी 01/10/2022 और 31/12/2022 के बीच। इस तरह की वार्षिक घोषणाओं की संवीक्षा संबंधित क्षेत्र द्वारा 60 दिनों के भीतर अर्थात् फरवरी, 2022 और फरवरी, 2023 के अंत तक की जाएगी। अन्य सभी आईओ-टी I (एमएसएमई आईओ-टी I सहित) संस्थाओं को प्रत्येक वर्ष, केवल पिछले वित्तीय वर्ष के लिए एक वार्षिक स्व-घोषणा प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

8. उपरोक्त पैरा 5 के अनुसार किए गए व्यापक अनुपालन समीक्षा अभ्यास के आधार पर, जोनल आईओ सेल आईओ-टी I इकाई के निरंतर प्रमाणीकरण को अनुमोदित या निरस्त करेगा और राष्ट्रीय आईओ कार्यक्रम प्रबंधक, अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क निदेशालय को सूचित करेगा। केवल प्रतिकूल निष्कर्षों के मामले में, इकाई को परिपत्र संख्या 33/2016- सीमा शुल्क दिनांक 22/07/2016, संशोधित के अनुसार कार्रवाई करने के लिए सूचित किया जाएगा। एक बार निरस्त होने के बाद, एक नया आईओ-टी I (एमएसएमई आईओ-टी I सहित) प्रमाणीकरण केवल परिपत्र संख्या 33/2016-सीमा शुल्क दिनांक 22/07/2016 यथा संशोधित, परिपत्र संख्या 54/2020-सीमा शुल्क दिनांक 15/12/2020 (एमएसएमई आईओ-टी I) साथ में पढ़ा जाए, के अनुसार, आईओ प्रमाणीकरण के लिए नए सिरे से दाखिल करने के माध्यम से प्रदान किया जाएगा।

9. ए ई ओ ऑटो नवीनीकरण प्रक्रिया के लिए वार्षिक स्व-घोषणा आवेदक द्वारा आईओ ऑनलाइन वेब पोर्टल <aeoindia.gov.in> के माध्यम से प्रस्तुत की जाएगी। इस आशय का आवश्यक क्रियान्वयन आईओ वेब पोर्टल पर किया जा रहा है।

10. प्रत्येक वर्ष के 1 जनवरी से 31 दिसंबर के बीच प्रमाणित आईओ-टी I संस्थाओं को उस वर्ष के लिए वार्षिक घोषणा दाखिल करने से छूट दी जाएगी। तदनुसार, वर्तमान वर्ष के लिए 01/01/2021 को या उसके बाद प्रमाणित आईओ-टी I संस्थाओं को वर्तमान वर्ष के लिए वार्षिक स्व-घोषणा प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी।

11. परिपत्र संख्या 33/2006-सीमा शुल्क दिनांक 22/07/2016, यथा संशोधित, परिपत्र संख्या 54/2020-सीमा शुल्क दिनांक 15/12/2020 (एमएसएमई आईओ-टी I के लिए) के साथ पठित, इस आशय के लिए उपयुक्त रूप से संशोधित है।

12. इस सार्वजनिक सूचना के कार्यान्वयन में यदि कोई कठिनाई हो तो इस कार्यालय के ध्यान में लाई जाए।

हस्ता.
(वाई. भास्कर राव)
संयुक्त आयुक्त

प्रतिलिपि सूचनार्थ :

1. संयुक्त सचिव (सीमा शुल्क), सीबीआईसी, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।
2. प्रधान आयुक्त, अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क निदेशालय, सीबीआईसी, नई दिल्ली।
3. सीमा शुल्क ब्रोकर एसोसिएशन, विशाखापटनम और सीपीसी, विजयवाड़ा ।
4. नोटिस बोर्ड।

प्रतिलिपि :

1. प्रधान आयुक्त सीमा शुल्क, सीपीसी, विजयवाड़ा।
2. प्रधान आयुक्त सीमा शुल्क, सीमा शुल्क सदन, विशाखापटनम।

इस जन सूचना के व्यापक प्रचार के लिए इस जन सूचना को संबंधित सीमा शुल्क सदन के वेबसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध के साथ।

वार्षिक स्व-घोषणा

(ए) सामान्य जानकारी

इकाई/संस्थान का कानूनी नाम	
क्या ए ई ओ स्थिति धारक एक निर्माता या व्यापारी है?	
ए ई ओ स्टेटस होल्डर एमएसएमई है या नहीं?	
ए ई ओ प्रमाणपत्र संख्या और वैधता	
संपर्क के प्राथमिक बिंदु का नाम	
संपर्क विवरण और ई-मेल पता	
प्रासंगिक अवधि (वित्तीय वर्ष)	
प्रस्तुत करने की तारीख	

(बी) अनुपालन सूचना

क्र.सं.	अनुपालन का पैमाना	हाँ	नहीं
1.	क्या पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान सीमा शुल्क से संबंधित मामले के लिए आवेदक के व्यवसाय का एईओ स्थिति धारक और/या निदेशकों/साझेदारों/एकमात्र मालिक/प्रभारी व्यक्तियों के खिलाफ बुक किए गए उल्लंघन/कारण बताओ नोटिस/सीमा शुल्क या जीएसटी का मूल आदेश (पूर्ववर्ती केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर) कानूनों का कोई मामला है? यदि हाँ, तो कृपया जारी किए गए कारण बताओं सूचना (एससीएन)/मूल आदेश (ओआईओ) का विवरण प्रदान करें।		
2.	क्या तुलन पत्र/ आईटी विवरणियों के अनुसार निवल मूल्य और निवल चालू परिसंपत्तियां, जिनका विधिवत लेखा परीक्षित दाखिल किया गया है जो पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान सकारात्मक हैं?		
3.	क्या पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान एईओ स्थिति धारक के खिलाफ कोई दिवाला, दिवालियापन या परिसमापन कार्यवाही शुरू की गई है?		
4.	क्या पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान कोई नया स्थान/स्थल जोड़ा गया है?		
5.	क्या ऐसे नए स्थान/स्थल का विवरण (बिंदु 4 पर) क्षेत्रीय/राष्ट्रीय एईओ कार्यक्रम प्रबंधक को इस तरह की वृद्धि के 14 दिनों के भीतर सूचित किया गया था। यदि नहीं, तो कृपया जोड़े गए साइट का विवरण और स्थल योजना प्रदान करें। नोट: यदि पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान लोकेशन स्थल में कोई नया जोड़ नहीं है तो कृपया इसे खाली छोड़ दें।		
6.	क्या कंपनी के रिकॉर्ड और सूचनाओं के बैकअप, रिकवरी, संग्रह और पुनर्प्राप्ति के लिए मौजूदा प्रणाली यह सुनिश्चित करना जारी रखता है कि कंपनी के रिकॉर्ड के बैक-अप, रिकवरी, संग्रह और पुनर्प्राप्ति से संबंधित प्रक्रियाओं में कोई उल्लंघन या घुसपैठ या शिथिलता नहीं देखी गई है और वह सूचना दुरुपयोग, हानि और अनधिकृत पहुंच के खिलाफ सुरक्षित है।		
7.	क्या, यदि आवश्यक हो, पिछले वित्तीय वर्ष के प्रासंगिक वाणिज्यिक/वित्तीय रिकॉर्ड तुरंत सीमा शुल्क को प्रस्तुत किए जा सकते हैं।		

इस वार्षिक स्व-घोषणा को प्रस्तुत करने की अवधि प्रत्येक वर्ष 1 "अक्टूबर और 31" दिसंबर के बीच है।